

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी

अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

मिसल संख्या

तारीख दायरा

तारीख निर्णय

मैनुअल नं. 08/प्रा.पत्र/2024

30.01.2024

09.09.2024

(GCMS No. 2024 / 14)

राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार, के.पाटन (जिला बून्दी)

— प्रार्थी

बनाम

1. मृतक कल्याण आ. छोटू रेगर नि. गेण्डोलीखुर्द जयें कायम मुकाम
1/1 भवानीशंकर आ.स्व.कल्याण जाति रेगर नि.गेण्डोलीखुर्द
1/2 मोहनलाल आ.स्व.कल्याण जाति रेगर नि.गेण्डोलीखुर्द
1/3 लक्ष्मीनारायण आ.स्व.कल्याण रेगर नि.गेण्डोलीखुर्द (मृतक)
जयें कायम मुकाम —
1/3/1 विक्रम आ. स्व. लक्ष्मीनारायण जाति रेगर नि.गेण्डोलीखुर्द
1/3/2 रवि आ. स्व. लक्ष्मीनारायण जाति रेगर नि.गेण्डोलीखुर्द
1/3/3 मैना पुत्री स्व. लक्ष्मीनारायण जाति रेगर नि.गेण्डोलीखुर्द
1/3/4 सुमित्रा पत्नी स्व. लक्ष्मीनारायण जाति रेगर नि.गेण्डोलीखुर्द
1/4 सुगना पुत्री स्व. कल्याण जाति रेगर नि.गेण्डोलीखुर्द
1/5 सुमित्रा पुत्री स्व. कल्याण जाति रेगर नि.गेण्डोलीखुर्द
1/6 पार्वती पुत्री स्व. कल्याण जाति रेगर नि.गेण्डोलीखुर्द
1/7 चन्द्रकला पुत्री स्व. कल्याण जाति रेगर नि.गेण्डोलीखुर्द
1/8 पसबा बाई पत्नी कल्याण जाति रेगर नि.गेण्डोलीखुर्द
हाल निवासीगण सरकारी आई.टी.आई. के पीछे, वृद्धाश्रम की
गली के पास बून्दी
2. लालचन्द आ.छोटू जाति रेगर नि.गेण्डोलीखुर्द हाल तहसील रायथल
3. मोहन आ. छोटू जाति रेगर नि. गेण्डोलीखुर्द हाल तहसील रायथल

— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित—

प्रार्थी की ओर से पेरोंकार सरकार।

अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

जिला कलक्टर, बून्दी



निर्णय

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण को किये गये भूमि आवंटन खसरा संख्या 1910 रकबा 1.54 हैक्टेयर वाकेग्राम गेण्डोलीखुर्द आवंटन आदेश दिनांक 10.11.1975 को निरस्त किये जाने हेतु राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है।

अति.जिला कलक्टर (सीलिंग) बून्दी से तहसील रायथल के क्षेत्राधिकार अनुसार प्रार्थना पत्र हस्तांतरित होकर प्राप्त होने पर दायरा पंजिका क्रमांक 8/2024 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर GCMS No.2024/14 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। अप्रार्थी सं. 2 व 3 द्वारा दिनांक 04.03.2021 को उपस्थित न्यायालय आकर अप्रार्थी सं. 1 कल्याण के फोटो हो जाने की सूचना दी गई। तत्पश्चात तहसीलदार रायथल से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार मृतक कल्याण के वारिसान को कायम मुकाम बनाया जाकर जर्ज नोटिस तलब किये गये, किन्तु बावजूद सूचना उपस्थित न्यायालय नहीं आने से अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

तत्पश्चात बहस परोकार सरकार सुनी गयी।

परोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि मुताबिक रिपोर्ट हल्का पटवारी आवंटीगण तथा उनके वारिसान का आवंटित भूमि पर कब्जा काशत नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध नकल खसरा गिरदावरी संवत 2076 के अनुसार उक्त आवंटित भूमि पड़त पड़ी हुई है। इस प्रकार आवंटीगण द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं किये जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आवंटीगण के पक्ष में किया गया उक्त आवंटन निरस्त किया जाकर भूमि सिवायचक दर्ज रेकार्ड किये जाने का अनुरोध किया गया।

न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया गया। जिससे प्रकट है कि कल्याण, लालचन्द, मोहन पि0 छोटू जाति रेगर निवासी गेण्डोली खुर्द को मिसल सं.104 पर दिनांक 10.11.1975 को भूमि खसरा सं. 902/2 रकबा 9 बीघा 10 बिस्वा वाकेग्राम गेण्डोली खुर्द का आवंटन किया गया था। आवंटीगण द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं किये जाने से उक्त आवंटन निरस्त किये जाने हेतु तहसीलदार द्वारा प्रकरण अन्तर्गत कृषि भूमि आवंटन नियम 14(4) पेश किया है। पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम गेण्डोली खुर्द की नकल जमाबंदी संवत 2073-2076 के अनुसार भूमि खसरा सं. 1910 रकबा 1.54 हैक्टेयर पर अप्रार्थी कल्याण, लालचन्द, मोहन पि. छोटू रेगर गैर खातेदार दर्ज रेकार्ड है। नकल खसरा गिरदावरी संवत 2076 के अनुसार उक्त भूमि खसरा सं. 1910 पड़त पड़ी हुई है। पत्रावली पर

जिला कलक्टर, बून्दी

उपलब्ध मौका रिपोर्ट हल्का पटवारी एवं आई.एल.आर. दिनांक 19.10.2020 अनुसार भूमि खसरा सं. 1910 रकबा 1.54 हैक्टेयर पर अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त नहीं है। राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(3) के अधीन यह शर्त है कि आवंटी को आवंटन के पश्चात आवंटित भूमि पर प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत भाग पर तथा शेष भाग पर द्वितीय वर्ष काश्त करना आवश्यक है। प्रकरण में आवंटीगण का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं होने से आवंटन की शर्तों का उल्लंघन होना प्रमाणित है। बावजूद सूचना उपस्थित न्यायालय नहीं आना भी आवंटीगण की उक्त आवंटन में कोई रुचि नहीं होने को प्रकट करता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर आवंटीगण का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं होने से एवं आवंटन शर्तों की पालना नहीं किये जाने से उक्त भूमि के आवंटन को अस्तित्व में रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है। फलस्वरूप प्रार्थनापत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी कल्याण, लालचन्द, मोहन पि0 छोटू जाति रेगर निवासी गेण्डोली खुर्द को किया गया भूमि आवंटन खसरा सं. 902/2 रकबा 9 बीघा 10 बिस्वा (हाल खसरा संख्या 1910 रकबा 1.54 हैक्टेयर) वाकेग्राम गेण्डोली खुर्द दिनांक 10.11.1975 निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार रायथल को आदेश दिये जाते हैं कि उक्त भूमि को तत्काल कब्जा राज लेकर राजस्व रेकार्ड में सिवायचक दर्ज करे। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफतर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 09.09.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(अक्षय गोदारा)
जिला कलेक्टर बून्दी